क्रम-संख्या—365

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 दिसम्बर, 2001

सा०प०नि०—57

सांविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयो
सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनि
करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों प
विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियम

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आ
तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन)

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के
का विनियमितीकरण नियमावली, 1979,
(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया

स्तम्भ-1

वर्तमान उपनियम

1 (1) किसी व्यक्ति को
(एक) जो सेवा
1977 के पूर्व त

ग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश (लोक
यमितीकरण नियमावली, 1979 में संशोधन

य) तदर्थ नियुक्तियों का
ावली, 2001

योग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
नियमावली, 2001 कही जायेगी।

के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों नियम 4 का संशोधन
में नियम 4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम
उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) किसी व्यक्ति को–

[illegible] नियमित
र्दथ आधार पर सीधे

(एक) जो सेवा में 30 जून, 1998 को
या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर

स्तम्भ-1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
नियुक्त किया गया हो, और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो,	पदोन्नति सीधे नियुक्त किया गया हो, और उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो,
(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो, और	(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो, और
(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में, संगत् सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।	(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति में, संगत् नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

आज्ञा से,
हरिकृष्ण,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governer is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/XVIII/86-Ka.-1-2001, dated December 20, 2001:

No.15/XVIII/86-ka-1-2001

Dated Lucknow, December 20, 2001

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Regularisation of the *Ad-hoc* appointments (On Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 1979 :

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF AD-HOC APPOINTMENTS (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2001

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad-hoc* Appointment (On Posts outside the Purview of the Public Service Commission) (Third Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad-hoc* Appointments (On Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 1979 in rule 4 *for* existing sub-rule (1) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN–1 *Existing sub-rule*	COLUMN–2 *Sub-rule as hereby substituted*
(1) Any person who–	(1) Any person who–
(i) was directly appointed on *ad-hoc* basis before January 1, 1977 and is continuing in service as such on the date of commencement of these rules;	(i) was directly appointed on *ad-hoc* basis on or before June 30, 1998 and is continuing in service as such on the date of commencement of the Uttar Pradesh Regularisation of *Ad-hoc* Appointments (on posts outside the

COLUMN–1 *Existing sub-rule*	COLUMN–2 *Sub-rule as hereby substituted*
	purview of the Public Service Commission) (Third Amendment) Rules, 2001.
(ii) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment as the time of such *ad-hoc* appointment; and	(ii) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment as the time of such *ad-hoc* appointment; and
(iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant rules or orders.	(iii) has completed or, as the case may be, after he has completed three years service shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant rules or orders.

By order,

HARIKRISHAN,

Sachiv.

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 753 राजपत्र (हिन्दी)–(1735)–2001–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 25 सा० नियुक्ति–(1736)–2001–5000–(कम्प्यूटर / आफसेट)।